

वाहन ऋण करार

यह करार का कार्यान्वयन _____ में दि _____ रोज

ऋणदार, सहऋणदार, सहआवेदक, जिसका उचित विवरण संलग्न अनुसूची में किया गया है (इस के पश्चात इनका उल्लेख "ऋणकर्ता" ऐसा किया जाएगा) व जमानतदार जिसका उचित विवरण संलग्न अनुसूची में किया गया है (इस के पश्चात इनका उल्लेख "जमानतदार" ऐसा किया जाएगा) जिसमें, अन्यथा संदर्भसे और अर्थसे विसंगत उल्लेख यदि हुआ है उसे छोड़कर, उसके / उनके अनुक्रमे उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, मनोनीत व्यक्ति, प्रतिनिधी और कानूनी प्रतिनिधी (जहाँपर ऋणकर्ता / जमानतदार व्यक्तिगत / अभियोक्ता है) मामले के अनुसार अधिकारों के उत्तराधिकारी, (जहाँपर ऋणकर्ता / जमानतदार कंपनी अधिनियम १९५६ के अनुसार संस्थापित कंपनी अथवा निगमित्य सभा हो), किसी भागीदारी संस्था के समय समय पर रहे साझेदार, उनके उत्तरजीवी, और उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, मनोनीत मनुष्य, प्रतिनिधी और कानूनी प्रतिनिधी (जहाँपर ऋणकर्ता / जमानतदार भागीदारी संस्था होगी), यह पहले पक्ष के पक्षकार शामिल होंगे

और

कंपनी अधिनियम १९५६ के अनुसार पंजीबद्ध की गयी और जिसका पंजीबद्ध कार्यालय मुंबई पुणे रस्ता आकुर्डी पुणे ४११०३५ व और उनकी शाखाएँ और प्रादेशिक कार्यालय देश के विविध भागों में है ऐसी बजाज फायनान्स लिमिटेड यह कंपनी (इसके पश्चात इनका उल्लेख "बीएफएल" ऐसा किया जाएगा) जिसमें अन्यथा संदर्भसे व अर्थसे विसंगत उल्लेख यदि हुआ है उसे छोड़कर, उनके क्रमशः वारसदार, प्रशासक व अभिहस्ताकिर्ती दूसरे पक्ष के पक्षकार के रूप में शामिल होंगे।

ऋणकर्ता ने बीएफएल आवेदन किया और विनती की कि ऋणकर्ता को, विक्रेता / अनुसूची 'अ' में निर्देशित बजाज ऑटो लिमिटेड के अधिकृत विक्रेतासे अनुसूची 'ब' में उचित विवरण किया गया उत्पादन खरीदने के लिये वित्तीय सहाय्य की जरूरत है और उस उत्पादन के पूरे / अंशतः मूल्य का रु _____ (रुपये _____) का वित्तसहाय्य / ऋण प्रदान करने की उन्होने बीएफएलसे विनती की है और बीएफएलने (ऋणकर्ता द्वारा लिखे, पेश और स्वाक्षरीत किये गये आवेदन पत्र, कागजाद के आधार पर) उचित व्याज के साथ इसके पश्चात लिखित किये गये शर्त अनुबंध और / अथवा बादे के अनुसार, विशिष्ट महिनों के मियाद पर ऋण के रूप में देने के लिये अनुमती प्रदान की है (इसके पश्चात इसका उल्लेख मंजूर ऋण ऐसा किया जाएगा और उसका पूर्ण विवरण अनुसूची में दिया जाएगा) . ऋणकर्ता / सहऋणकर्ता, व जमानतदार बीएफएलने उन्हें / उसे मंजूर किया ऋण/ वित्तीय सहाय्य स्वीकार कर रहे हैं। .

I. व्याख्या व संज्ञेति :

करार में उपयोग किये गये व्याख्या व संज्ञेन का निम्नलिखित अर्थ होगा :

- "आवेदन पत्र"** माने संदर्भ के अनुसार जैसी आवश्यकता है वैसे ऋणकर्ता ने, बीएफएल को वित्तीय सुविधा / ऋणसुविधा के संदर्भमें विविध जानकारी, तफसील, स्पष्टीकरण, पत्राचार, घोषणापत्र सम्मिलित समय समय पर पेश किया ऋणसुविधा आवेदन पत्र
- "स्वयं नामे आवेदन"**, इसके पश्चात इसका उल्लेख "एडीएम" ऐसा किया जाएगा, माने किस्तोंका प्रदान करने के लिये ऋणकर्ता के बैंक खाते को नामे करके तद्वत्तु बीएफएल के खातेमें जमा होने के लिये ऋणदार ने उसके बैंकको दिया हुआ लिखित आदेश / अनुदेश सम्मिलित माना जाएगा।
- "ऋणकर्ता"** माने बीएफएलसे सुविधा प्राप्त करने के लिये जिसने पेश किये आवेदन पत्रके आधार पर सुविधा मंजूर की है और ऋणकर्ता के स्वरूपानुसार a) उनके उत्तराधिकारी और अनुज्ञाधारक अभिहस्ताकिर्ती, अगर ऋणकर्ता i) १९५६ व्या कंपनी अधिनियमानुसार पंजीबद्ध कंपनी अथवा संस्थाको लागू होनेवाले अधिनियमानुसार पंजीबद्ध संस्था है ii) भारतीय भागीदारी अधिनियम १९३२ नुसार पंजीबद्ध साझीदारी संस्था हो, तो उनके सारे भागीदार और उनके उत्तराधिकारी, उनके कानूनी वारीसदार, निष्पादक, प्रशासक, मनोनीत मनुष्य, मुखत्यार व कानूनी प्रतिनिधी iii) अगर ऋणकर्ता व्यक्तिगत / मालिक हो तो, उसके / उनके अनुक्रमानुसार उत्तराधिकारी, उनके कानूनी वारीसदार, निष्पादक, प्रशासक, मनोनीत मनुष्य, मुखत्यार व कानूनी प्रतिनिधी आणि सहआवेदक / सहऋणकर्ता (अगर हो तो) सम्मिलित.
- "ऋणकर्ता की देवता"** माने ऋण की शर्त और लेनदेन के कागजाद के अनुसार ऋणकर्ता ने बीएफएलको देय सुविधा की बकाया मूलधन राशि, सुविधा राशि के व्याज की राशि, बाकी सब व्याज, सब शुल्क, मूल्य, खर्चा खर्च, व्यय, सरकारी शुल्क और अन्य राशि सम्मिलित, और ऋण के शर्त के अनुसार ऋणकर्ता ने अनुबद्ध की हुई अथवा दावित्य वाली कोई भी अन्य राशि.
- "अप्राप्तीका व्याज"** माने करारपत्र के परिच्छेद २४ में बताये नुसार अप्राप्ती की स्थिती में बीएफएल द्वारा देय तारीख से भुगतान होनेतक उगाहा व्याज
- "सीधा रोकड संकलन"** इसके पश्चात इसका उल्लेख "डीसीसी" ऐसा किया जाएगा, इसमें अलग अलग जगह पर बजाज ऑटो लिमिटेड के प्राधिकृत केंद्रमें बीएफएल के प्रतिनिधी / गुमाशते द्वारा संकलित की गयी रोकड राशि सम्मिलित है।
- "देय तारीख"** माने लेनदेन के कागजाद के अनुसार, ऋणकर्ता के ऋण की मूल राशि, व्याज, और / अथवा अन्य राशि सम्मिलित राशि जिस दिन देय होगी, ऐसी तारीख,
- "उद्घन कटौती"** इसके पश्चात उसका उल्लेख "डीएस" ऐसा किया जाएगा, माने ऋणकर्ता के मालिक ने कटौती किया हुआ और बीएफएल / उनके अधिकृत प्रतिनिधीको प्रेषित किया हुआ समीकृत मासिक किश्त सम्मिलित माना जाएगा।
- "इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली"** इसके पश्चात इसका उल्लेख "ईसीएस" ऐसा किया जाएगा, माने किस्तोंका भुगतान राशी का हस्तांतरण करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक तरीकेसे प्रेषित किया गया संदेश, अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीकेसे प्रेषित किये दस्तावेज की प्रतिया द्वारा अथवा राशि हस्तांतरण के विवरण की इलेक्ट्रॉनिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा प्रेषित करना, अथवा इलेक्ट्रॉनिक धनादेशद्वारा भुगतान करना अथवा जहाँपर राशि का हस्तांतरण प्लास्टिक कार्ड द्वारा अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया और जिसमें सम्मिलित होने के लिये ऋणकर्ता ने लिखित सहमती जतायी है ऐसी नामे समाशोधन प्रणाली सम्मिलित मानी जाएगी।
- "इ भुगतान"** माने उस विषय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर व्याख्या की गयी महाजाल, ऑनलाईन, मोबाईल, ई-बटूआ, आभासी कार्ड, इत्यादिका उपयोग करके किया गया भुगतान।
- "जमानतदार"** माने जो व्यक्ति इस करारपत्र और उसके अनुसूचीमें लिखे हुए ऋणकर्ता के ऋण में जमानत दे रही है ऐसी व्यक्ती और उसमें जमानतदार के स्वरूपानुसार a) उनके उत्तराधिकारी और अनुज्ञाधारक अभिहस्ताकिर्ती, अगर ऋणकर्ता i) १९५६ के कंपनी अधिनियमानुसार पंजीबद्ध कंपनी अथवा संस्थाको लागू होनेवाले अधिनियमानुसार पंजीबद्ध संस्था है ii) भारतीय भागीदारी अधिनियम १९३२ नुसार पंजीबद्ध साझीदारी संस्था हो, तो उनके सारे भागीदार और उनके उत्तराधिकारी, उनके कानूनी वारीसदार, निष्पादक, प्रशासक, मनोनीत मनुष्य, मुखत्यार व कानूनी प्रतिनिधी iii) अगर ऋणकर्ता व्यक्तिगत / मालिक हो तो, उसके / उनके अनुक्रमानुसार उत्तराधिकारी, उनके कानूनी वारीसदार, निष्पादक, प्रशासक, मनोनीत मनुष्य, मुखत्यार व कानूनी प्रतिनिधी आणि सहआवेदक / सहऋणकर्ता (अगर हो तो) सम्मिलित.
- "किश्त / समीकृत मासिक किश्त"** माने ऋण की राशि के पुनर्भुगतान के लिये दोनो, दोनो पक्षोंने सहमती जतायी हुई और षटते शेष राशि पर निर्धारित किये हुए मूलधन और व्याज सम्मिलित राशि, एक मियादि कालावधीमें मासिक/ त्रैमासिक अथवा अन्य कोईभी कालावधीमें समाकृत अथवा असमान किश्तोंमें देय राशि. समाकृत अथवा असमान किश्तों के गणनपत्रका का पूर्ण विवरण अनुसूची के खंड A में दर्शाया गया है।
- "व्याज"** माने जैसा लागू होगा उसके अनुसार स्थायी अथवा यायावर व्याजका दर।
- "ऋण"** माने बीएफएल ने ऋणकर्ता को किसी वजहसे उठाके ही हुई राशि और उसमें करारपत्र के शर्त के अनुसार ऋणकर्ता ने बीएफएलको देय पूरी राशि सम्मिलित है।
- "पीडीसी"** माने अगले तारीख के धनादेश मतलब प्रत्येक किश्त के तारीखसे मिलनेवाले उस तारीख के ऋणदार ने बीएफएलको दिये हुए धनादेश
- "उत्पादन"** माने ऋणदार ने अनुसूची B में दिये उत्पादन का विवरण और उसमें इस करारपत्र के तारीख से पहले या बाद में किये हुए सारे बदलाव, वृद्धि अथवा अनुवृद्धि सम्मिलित है।
- "दंड शुल्क"** माने देय तारीख को समाकृत मासिक किश्त का भुगतान न होनेपर लिया जानेवाला विनंबित शुल्क।
- "वाउन्स शुल्क"** माने ऋणकर्ता / सहआवेदक/ सहऋणकर्ता ने देय समाकृत मासिक किश्त के लिये जारी किया हुआ अगली तारीख का धनादेश, / ईसीएस / एडीएम नकारा गया अथवा धनवापसी के अन्य प्रणालीयोके द्वारा समाकृत मासिक किश्त देय तारीख के पहले भुगतान न होनेपर लिया जानेवाला शुल्क.

ii. **अनुसूची** माने ऋणकर्ता को दिये गये वित्तीय सुविधाके सारे विवरण जो इस पूरे करारपत्रके एकीकृत हिस्सा होंगे।

iii. ऋण की शर्तें :

- ऋणकर्ता ऋण के संवितरण की प्रक्रिया समझ गये हैं। जब कभी सहाय्य की गयी राशि बीएफएल की तरफसे बजाज ऑटो लिमिटेड के अधिकृत व्यापार प्रतिनिधी को हस्तांतरीत की जाएगी तभी संवितरण "पूरा हुआ" ऐसा माना जाएगा, इससे ऋणकर्ता सहमत है।
- ऋणकर्ता योजना के अनुसार लागू व विनवापसी अप्रफंड व्याज, सेवाशुल्क और अन्य शुल्क का भुगतान करेगा और ऐसा अप्रफंड व्याज, सेवाशुल्क और अन्य शुल्क, व्यापार प्रतिनिधीको ऋण राशिका / सुविधाके संवितरण करते वक्त बीएफएल द्वारा कटौती की जाएगी।
- ऋणकर्ता यह स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि :
 - बीएफएल द्वारा मंजूर किया गया ऋण ऋणकर्ता / व्यापार प्रतिनिधी को एकसाथ अथवा बीएफएल द्वारा तय किये किश्तोंमें संवितरीत किया जाएगा।
 - मंजूर किया गया ऋण ऋणकर्ता द्वारा महिने की कालावधीमें अनुसूची के भाग A में विवरित पहले देय तारीख से वापस किया जाएगा। (इसके पश्चात इसका उल्लेख "ऋणमियाद" ऐसा किया जाएगा)
 - मंजूर किये गये ऋण की राशि ऋणकर्ता की ओरसे व्यापार प्रतिनिधीको भुगतान करनेका बीएफएलको अधिकार रहेगा और यह ऋण अनुसूची A में विवरित नुसार वित्तीय शुल्क / व्याज के साथ ऋणकर्ता ने बीएफएलको इस करारपत्रके शर्त के अनुसार षटती राशि पर देय होनेवाला ऋण होगा।
 - बीएफएलको निम्नलिखित **दंड उगाही** करनेका अधिकार रहेगा :
 - प्रत्येक बाउन्सपर, वाउन्स शुल्क **₹ ३५०/- तक**
 - अगर देय राशि की उगाही न हो, तो, देय तारीखसे प्रत्यक्ष उगाही होनेतक प्रति महिना अधिकतम ३% दंड
 - अनुसूची B में विवरित किया गया उत्पादन इस ऋण के लेनदेन के लिये बीएफएलका पूरा समाधान होनेतक इसमें प्रतिभूती रहेगी, इसका ऋणकर्ता को पूरा ज्ञान है।
- ऋणकर्ता मंजूर किये गये ऋण का उपयोग सिर्फ उत्पादन की खरीददारी और तदनुषंगिक खर्च करने के लिये ही करेंगे और अन्य किसी भी कारण के लिये नहीं करेंगे।
- ऋणकर्ता मूलधन और वित्तीय शुल्क अनुसूची A में विवरित मासिक किश्तोंमें वापस करेंगे।
- वित्तीय शुल्क षटते शेष राशि प्रणालीपर उपार्जित होगा और हर किश्तके अंतमें मूल धन की शेष राशि टल जाएगी।
- ऋणकर्ता और जमानतदार स्वीकार करते हैं कि इस करारपत्र के वजहसे कोई भी दर, कर, शुल्क, आयातकर, दंडमें अगर बढ़ोरी होती है, और बीएफएलको उसका भुगतान करना पडता है, तो किश्तकी राशि अपनेआप बढ जाएगी और ऐसा दर, कर, शुल्क, आयातकर, दंड मंजूर किये ऋण के एकीकृत हिस्सा हो जाएंगे। ऋणकर्ता और जमानतदार इससे सहमत हैं कि इसकी कोईभी सूचना नहीं दी जाएगी।
- किश्त भुगतान करनेकी देय तारीख अनुसूची के भाग A सूचित किये नुसार होगी और वक्त ही इस करारपत्रका स्वाभाव है, यह विदित है।
- बीएफएलने ऋणकर्ता पक्ष में यह ऋण मंजूर करने के लिये जो सहमती जतायी है, उसके बदलेमें, सहआवेदक / सहऋणकर्ता / जमानतदार, बीएफएलको यह भरोसा देते और वादा करते हैं की ऋणकर्ता इस करारपत्र की शर्तें और अनुबंध का पालन करेंगे और बीएफएलको देय रहनेवाले लेकिन ऋणकर्ता ने भुगतान नहीं किये हुए मूलधन, व्याज, अतिरिक्त व्याज, खर्चा, कब्जा लेनेके पश्चात बीएफएल ने उठाया हुआ नुकसान, मरम्मत अथवा अन्य मुआब्जा, और खर्चा, किसी भी ऐतराज, विनंब अथवा प्रतिवाद के बिना भुगतान करेंगे।

10. ऋणकर्ता / सहऋणकर्ता/ सहआयदेक / जमानतदार स्वीकार करते / सहमत हैं कि उन्होंने/ उसने बीएफएलको यह ऋण मंजूर होते वक्त अथवा उस संदर्भ में जो जानकारी पेश की है वह, ऋण कार्यालय या बीएफएलको जो व्यक्ति उचित लगेगी उसे सौंपनेका अधिकार रहेगा और ऋणकर्ता किसी भी तरहसे इस विषय में प्रतिबाद या सवाल नहीं उठाएंगे।

11. बाकी कितना भुगतान करना :

ऋणकर्ताने अभिवेदित, सहमत होकर यह भरोसा दिलाया है कि वह निम्नलिखित प्रणालीयोमेंसे एक प्रणाली भुगतान के लिये अपनाएंगे और उसके अनुसार :

- I. ऋणकर्ता ने बीएफएलको इस करारपत्र के द्वारा देय मंजूर कर्जके किश्तोंके साथ सारी राशि बीएफएलके पक्ष में अगली तारीखके धनादेश द्वारा भुगतान किया है और ऐसे धनादेश पर मासिक किश्त जिस दिन देय होता है, वह तारीख लिखी है। ऋणकर्ता इसकेद्वारा विनाशर्त और अपरिवर्तनीय संविदित करते है कि यह करार कार्यान्वित करते समय या करनेसे पहले यदि अगली तारीखके धनादेश अदा किये होंगे, फिरभी ऋणकर्ताने जारी किये हुए अगली तारीखके धनादेश उसपर लिखे तारीख से वैध होंगे और ऋणकर्ता कोईभी हालत में और वजह से वह अवैध होनेका दावा नहीं करेंगे। ऋणकर्ता इसके बाद यह स्वीकार करते है कि जिस खातेपर ऐसे अगली तारीख के धनादेश जारी किये है, उस खातेमें पर्याप्त शेष राशी रखेंगे और ऋणकर्ता वह खाता बंद नहीं करेंगे और / अथवा बीएफएलको वह धनादेश निकासी के लिये न भेजनेका आदेश नहीं करेंगे या बैंकको ऐसे धनादेशोंका भुगतान रोकनेकी या भुगतान के लिये अस्वीकार करनेका आदेश नहीं करेंगे। ऋणकर्ता इसके बाद यह स्वीकार करते है कि बीएफएलने इस करारपत्रमें लिखे किश्तोंके अगली तारीखके धनादेशोंके आधारपरही इस करारपत्रकी ऋणसुविधा मंजूर की है और ऐसे अगली तारीख के धनादेशोंका विवरण अनुसूचीके भाग G(i) में ब्योरेवार वर्णन किया गया है। ₹ ५००/- से कम अदलाबदली शुल्क जमा करनेके बाद ही ऋणकर्ता इन धनादेशोंके बदले दूसरे धनादेश जमा कर पाएंगे।
- II. ऋणकर्ता ने बीएफएलको इस करारपत्र के द्वारा देय मंजूर कर्जके किश्तोंके साथ सारी राशि बीएफएलके पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा / स्वयं नामे आदेश / अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सूचना द्वारा भुगतान किया है और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा / स्वयं नामे आदेश / अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सूचना मासिक किश्त जिस दिन देय होता है, वह तारीख लिखी है। ऋणकर्ता इसकेद्वारा विनाशर्त और अपरिवर्तनीय संविदित करते है कि यह करार कार्यान्वित करते समय या करनेसे पहले यदि अगली तारीखके इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा / स्वयं नामे आदेश / अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सूचना अदा किये होंगे, फिरभी ऋणकर्ताने जारी किये हुए अगली तारीखके इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा / स्वयं नामे आदेश / अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सूचना उसपर लिखे तारीख से वैध होंगे और ऋणकर्ता कोईभी हालत में और वजह से अवैध होनेका दावा नहीं करेंगे। ऋणकर्ता इसके बाद यह स्वीकार करते है कि जिस खातेपर ऐसे अगली तारीख के इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा / स्वयं नामे आदेश / अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सूचना जारी किये है, उस खातेमें पर्याप्त शेष राशि रखेंगे और ऋणकर्ता वह खाता बंद नहीं करेंगे और / अथवा बीएफएलको वह इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा / स्वयं नामे आदेश / अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सूचना निकासी के लिये न भेजनेका आदेश नहीं करेंगे या बैंकको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा / स्वयं नामे आदेश / अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सूचनाका भुगतान रोकने की या भुगतान के लिये अस्वीकार करनेका आदेश नहीं करेंगे। ऋणकर्ता इसके बाद यह स्वीकार करते है कि बीएफएलने इस करारपत्रमें लिखे किश्तोंके अगली तारीखके इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा / स्वयं नामे आदेश / अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सूचनाके आधारपरही इस करारपत्रकी ऋणसुविधा मंजूर की है और ऐसे अगली तारीख के इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा / स्वयं नामे आदेश / अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सूचनाका विवरण अनुसूचीके भाग E(i) में ब्योरेवार वर्णन किया गया है। ₹ ५००/- से कम अदलाबदली शुल्क जमा करनेके बाद ही ऋणकर्ता इन इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा / स्वयं नामे आदेश / अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सूचनाके बदले दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा / स्वयं नामे आदेश / अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सूचना जमा कर पाएंगे।
- III. परिच्छेद ३(iv) में लिखे औ अनुसूची B में पूर्ण विवरण के अनुसार लेनदेन अस्वीकार किया गया तो वापसी शुल्क और देय तारीखको मासिक किश्तका भुगतान करनेमें विलंब होनेपर , परिच्छेद ३(v) लिखे विलंबीत भुगतान शुल्क जमा करनेके लिये ऋणकर्ता सहमत हैं।
- IV. ऋणकर्ता किसी योजनामें मासिक किश्तोंका भुगतान ऋणकर्ता के वेतन खातेसे सीधी कटौती होने के बावजूद अगर बीएफएलको किश्त प्राप्त होनेमें विलंब होनेपरभी बीएफएलको किश्त जमा करनेमें विलंब / अप्राप्त होनेका व्याजभी उसकोभी लागू होगा। इस के लिये जिस दिन ऋणकर्तासे बीएफएलको राशि प्राप्त होगी वह किश्त प्राप्त होनेकी तारीख मानी जाएगी।
- V. अगर कोई ग्राहक कोईभी विलंब या अप्राप्ति न करते हुए किश्त के देय तारीखसे पहले नगद अथवा धनाकर्ष द्वारा किश्त भुगतान करनेका अभिवचन देते या वादा करते है , तो बीएफएल उनके विवेकाधीन अधिकारमें धनादेश / इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा आदेश / स्वयं नामे आदेश अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन आदेश लिये बिना ऋण मंजूर कर सकते हैं।
- VI. यदि किसी वजहसे उल्लेख किये धनादेश / इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा आदेश / स्वयं नामे आदेश या अन्य इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन आदेश किसी तकनीकी / बैंकके गलती की वजहसे / समाशोधन गृहके समस्या / खातेमें पर्याप्त राशि न होनेकी वजहसे या अन्य कोईभी वजहसे ऋणकर्ताके बैंकमें पहुंचा नहीं या नकारा गया, बीएफएलको ऐसा धनादेश / इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा आदेश / स्वयं नामे आदेश या अन्य इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन आदेश किसी सूचना के बिना ऋणकर्ताके बैंकको प्रेषित करनेका अधिकार बीएफएलको होगा और अगर उगाही नहीं हुई , तो बीएफएल की ओरसे कोईभी सूचनाके बिना , ऋणकर्ता तथा वासी / व्याजके शुल्क के साथ सारी राशि उसके ऋणखातेपर तुरंत भुगतान करेगा। ऋणकर्ता / सह ऋणकर्ता सहमत है और समझ रहे है कि यह सुविधा बीएफएलने ऋणकर्ताकी विनतीपर प्रदान की है और कोई भी विलंब किये बगैर और बीएफएल की तरफ से किसी सूचना या मांग के बिना किश्त समयपर प्रेषित करना यह ऋणकर्ताकीही जिम्मेवारी है।
- VII. अगर बीएफएलको ऐसे धनादेश / नामे आदेश पेश करनेमें कोई कठिनाई / दिक्कत / रुकावट होती है अथवा बीएफएलको उनके अधिकारमें ऐसे लगता है , तो ऋणकर्ता बीएफएलकी तसल्ली होगी इस तरीकेसे अगले तारीख के धनादेश / इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा आदेश / स्वयं नामे आदेश या अन्य इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन आदेशके बदलेमें नये अगले तारीखके धनादेश / इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा आदेश / स्वयं नामे आदेश या अन्य इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन आदेश / अन्य कागजाद तुरंत लाकर देगा।
- VIII. बीएफएल उनके पूरे विवेकाधिकारमें ग्राहकको अंशिक रूपसे अगले तारीख के धनादेश द्वारा और अंशिक रूपसे इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा आदेश / स्वयं नामे आदेश अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन आदेशके द्वारा मासिक किश्त का भुगतान / प्रेषण करनेकी अनुमती दे सकते हैं।
- IX. उपर उल्लेख किये विकल्प माने इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा आदेश / स्वयं नामे आदेश इनके द्वारा मासिक किश्त भुगतान करनेकी सुविधा ग्राहकके विनतीनुसार दी जा रही है। अगर ऋणकर्ता के बैंकने कुछभी वजहसे यह इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा आदेश / स्वयं नामे आदेश/ अन्य इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन आदेश सेवा बंद की तो बीएफएलको संतोषजनक पुनर्भुगतान का तरीका अदलाबदली करनेकी या देय तारीख के पहले किश्त नगद भरनेका / प्रेषित करनेका ऋणकर्ता वादा करते है।
- X. आगे, बीएफएल उनके पूर्ण विवेकाधिकारमें ऋणकर्ताको पुनर्भुगतान करनेके लिये अन्य विकल्प अपनातेपर मजबूर कर सकते है और ऋणकर्ताको इस पेशकश को किसीभी ऐतराज, विलंब, या विरोध के बिना मानना पड़ेगा। ऋणकर्ताने आकटनमें चुने विकल्पमें या उसके अंतर्गत दिये किसीभी आदेशको बीएफएलके अनुमती के बिना रद्द या मन्सूख नहीं कर पाएगा। अगर ऋणकर्ताने ऐसा आदेश रद्द या मन्सूख किया (या रद्द या मन्सूख करनेकी कोशिश की) , तो ऋणकर्ताने यह काम अपराधिक उद्देश्यसे किया ऐसा माना जाएगा और ऐसे अपराध के लिये ऋणकर्ता के विरुद्ध अपराधिक और दिवानी कार्रवाई करनेके अधिकार बीएफएलको रहेंगे।
12. किसीभी प्रकारके भेद या मतभेद की वजहसे ग्राहक किसीभी किश्तका या राशि का भुगतान रोक या विलंब नहीं कर पाएगा और बीएफएलको अगली तारीखके धनादेश / इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा आदेश / स्वयं नामे आदेश या अन्य इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन आदेश ऋणकर्ताके बैंकके पास देय तारीखको प्रेषित करनेका अधिकार रहेगा।
13. ऋणकर्ता स्वीकार करते और सहमत है कि बीएफएलने अगले तारीख के धनादेश / इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा आदेश / स्वयं नामे आदेश या अन्य इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन आदेश समाशोधन गृहके या अन्य वजहसे ऋणकर्ताके बैंकके पास प्रेषित नहीं किया, तो उसका बिना किसी विलंब / अप्राप्ति किये किश्त समयपर भुगतान करनेके ऋणदारके जिम्मेदारीपर कोई असर नहीं होगा। (बीएफएलको दिया हुआ या दिया जानेवाला) ऐसे अगले तारीख के धनादेश / इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा आदेश / स्वयं नामे आदेश या अन्य इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन आदेश किसीभी वजहसे क्षति पहुंची / नष्ट हो गया, उसमें विलंब, चूक या लापरवाही हुई, तो बीएफएल उसके लिये जिम्मेवार नहीं रहेगी।
14. बीएफएलको सभी राशि किसीभी कटौती / विरोध के बिना भुगतान करना चाहिये। देय राशि उगाही होनेके बाद ही बोल उतार चिट्ठी दी जाएगी।
15. अनुसूचीके भाग F में निर्दिष्ट किया गया अग्रिम किश्त और / या प्रतिभूती राशि / शुरुवाति भुगतान शेष राशि के प्रति एसएलओ लगातार करनेका विवेकाधिकार बीएफएलको रहेगा और उसे उन्हे सही तरीकेसे और समयपर उपयोग किया जाएगा।
16. विलंबित भुगतान के विषयमें, बीएफएलके अन्य सब अधिकारों पूर्वाग्रह न रखते हुए इस करारपत्र के द्वारा ;
 - a. अनुसूचीके भागA और B में विवरित राशि उगाही कर पाएंगे।
 - b. अगर ऋणकर्ता के वेतन के खातेसे सीधी कटौती करनेके किसी योजना के तहत अगर वित्तीय है, और ऋणकर्ता के मालिक ने वेतन के खातेसे समयपर राशि की कटौती की है, और अगर बीएफएलको राशि प्रेषित करनेमें देरी हुई, तोभी विलंबित / अपराध का व्याज लिया जाएगा।
 - c. बीएफएलको ऋणकर्तासे प्राप्त हुई कोई भी राशि प्रथमतः विलंबित व्याज के प्रति या इस करारपत्र के द्वारा बीएफएलको ऋणकर्ता के प्रति किसी दावे के प्रति और अंतिमतः बकाया किश्तोंके प्रति समायोजित किया जाएगा।
17. इस करारपत्र के अनुसार बीएफएलको देय राशि का भुगतान हुए बगैर ऋणकर्ता को यह करार समाप्त करनेका कोईभी अधिकार नहीं रहेगा।
18. इस करारपत्रमें अन्य कंहीभी लिखे जानेके बावजूद, इस ऋणके या उससे संबंधित किश्त, मंजूर ऋणकी बकाया राशि , व्याज, कर्ज की बाकी रकम, व्याज, अतिरिक्त व्याज, शुल्क, खर्च, मुद्रांक शुल्क और अन्य सब राशियाँ (इसके पश्चात इसका उल्लेख "ऋणकर्ता का बकाया" ऐसा किया जाएगा) ऋणकर्ताद्वारा बीएफएलको देय रहेंगे। बीएफएल उनके विवेकाधिकारमें कोई भी वजह दिये बिना ऋणकर्ता को ऋणकर्ता की बकाया राशि भुगतान करनेके लिये बुला सकती है और उसके बाद ऋणकर्ता ने कोई भी ऐतराज, हरकत और विरोध के बगैर ऋणकर्ता की बकाया राशि १५ दिन के अंदर बीएफएलको भुगतान करनी चाहिये।
19. मामले के अनुसार, उत्पादनको प्राधिकृत व्यापारी / उत्पादक / बेचानेवालेसे कन्वेंमें लेनेकी जिम्मेवारी पूरी तरहसे ऋणकर्ता की होगी और बीएफएल उत्पादनके सुपुर्दगी का बगैर सुपुर्दगी के बारेमें या उसमें देरी या उसकी गुणवत्ता, योग्यता, उपयोगिता, उपयुक्तता, जिसमें के रंग, अथवा अन्य किसीभी विषय में जिम्मेवार नहीं रहेगा।
20. उत्पादनके खरीददारी की मूल्यमें बढ़ाई होने की वजहसे मंजूर ऋणके मूलराशिमें बढ़ाई मांगनेका ऋणकर्ता को कोई भी अधिकार नहीं रहेगा।
21. ऋणकर्ता ऋण के कालावधि में ,
 - a. इस करारपत्र के सारे उत्तरदायित्व और अनुबंध का पालन करेंगे और उन्हें निभाएंगे।
 - b. कोई भी विलंब या अप्राप्ति न करते हुए किश्त समयपर बीएफएलके पास भुगतान करेंगे और धनादेश / इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन आदेश / अन्य किसीभी इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन आदेश समय पर प्रस्तुत किया गया तो उसे माने जानेकी खबरदारी लेंगे। अपना बैंक खाता किश्त की राशिसे नामे किया गया है इसकी जांच पडताल करनेका उत्तरदायित्व ऋणकर्ता के उपर है और अगर किश्त की उगाही नहीं हुई है, तो इसे किश्त की देय तारीख हो जाने के बाद तीन दिन के अंदर पंजीबद्ध डाकसे बजाज फायनान्स लिमिटेड मुंबई पुणे रस्ता आकुर्डी पुणे ४११०३५ इस पतेपर सह संदर्भमें सूचना देना अनिवार्य है और ऐसे उगाही न हुए किश्त की राशि नगदमें प्रेषित की जानी चाहिये। देय तारीखसे एक कार्य दिवस पहले पर्याप्त मात्रामे राशि शेष रहनी चाहिये और बीएफएलको किश्त का भुगतान होनेतक वह शेष राशि रखी जानी चाहिये।
 - c. उत्पादनको अच्छे और सेवा देनेकी स्थितीमें रखेंगे। कानून के मुताबिक जो भी अनुज, कर, बीमा , स्वीकृती, संमती, व निकासी वैध और प्रचलित स्थितीमें रखनेकी जिम्मेवारी लेंगे।
 - d. ऋणकर्ता के पतेमें या संपर्क ब्योरे में जैसे की दूरभाष क्रमांक / मोबाईल क्रमांक बदला है तो पंजीबद्ध डाक द्वारा बीएफएलके आकुर्डी मुंबई पुणे रस्ता पुणे ४११०३५ इस पतेके मुख्य / पंजीबद्ध कार्यालयमें सूचना दी जाएगी।
 - e. ऋणकर्ता के नौकरीमें, कारोबारमें या व्यापारमें बदलाव है तो पंजीबद्ध डाक द्वारा बीएफएलके आकुर्डी मुंबई पुणे रस्ता पुणे ४११०३५ इस पतेके मुख्य / पंजीबद्ध कार्यालयमें सूचना दी जाएगी। अगर ऋणकर्ता स्वयंरोजगारीत है, तो बीएफएलने सूचना दियेनुसार अपने कारोबार की वित्तीय स्थितीकी नियमित रूपसे सूचना देंगे। अगर ऋणकर्ता अभियोक्ता है, तो बीएफएल ने मांगी सब जानकारी और / या कागजाद पेश करने चाहिये।

- f. ऋणकर्ता या उसके गुमाश्ते द्वारा उत्पादन के उपयोग की बजहसे और / या उपयोग से संबंधित किसी तृतीय पक्षके कानूनी कारवाई या मुकदमा, नुकसान या दावेसे बीएफएलको क्षतिपूर्ति रखते हैं।
- g. इस करारपत्रसे संबंधित या इस करारपत्र द्वारा आवृत्त किये गये उत्पादनसे संबंधित किसी करारपत्र, उत्पादन या मंजूर ऋणसे संबंधित सब कर, यह सब खर्चा बीएफएलको परिपूर्ण / भुगतान करेंगे।
- h. उत्पादनका किसी भी गैरकानूनी या असामाजिक बजह / काम के लिये उपयोग नहीं करेंगे।
- i. बीएफएलके लिखित सहमती के बिना उत्पादन राज्यके बाहर नहीं ले जाया जाएगा। (अगर उत्पादन वाहन है, तो जिस राज्य में पंजीबद्ध किया गया है, उस राज्यसे)
- j. ऐसा कोई भी काम या बात नहीं करेंगे जिसकी बजहसे वह उत्पादन सार्वजनिक प्राधिकरण के द्वारा या सरकार के द्वारा हवालाती किया जाय या उसके उपर कानूनी कार्यवाही शुरू होगी।
- k. उत्पादनके विषयमें बीमा अवैध कर देगा या बीमा पॉलिसीकी शर्तें जिस काम को अनुमती नहीं देते हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे या करनेकी अनुमती नहीं देंगे।
- l. उत्पादन और उसके साथवाले लेन देनसे संबंधित प्रचलित और भविष्यके कर, दर, शुल्क, प्रभार, आयातकर और अन्य देयताएं निभाएगा।
- m. कोई भी उचित समय पर उत्पादनकी स्थिति और परिस्थिती की जानकारी लेनेके लिये बीएफएल और उसके प्रतिनिधियोंको निरीक्षण, व परीक्षण करने देंगे और बीएफएल या उनके प्रतिनिधियोंने तय किये जगह पर उत्पादनकी कागजाद उनके निरीक्षण के लिये पेश करेंगे।
- n. उत्पादन और मंजूर किये ऋणकी वापसी विश्वसनीय तरीकेसे होनेके लिये बीएफएल समय समय पर जरूरी समझे गये कागजाद लिखित रूप में निष्पादित करेंगे और अन्य जरूरी चीजे पूरी करेंगे।
- o. उत्पादनपर बीएफएलके बोझ बांटा जानेवाले किसी भी तरीकेसे उसे बोझ नहीं डालेंगे या बेचेंगे नहीं या अंतरित नहीं करेंगे या बोझ डालनेकी या बेचनेकी या अंतरित करनेकी कोशिश नहीं करेंगे या कब्जा नहीं छोड़ेंगे या भूलने का काम नहीं करेंगे।
- p. देय तारीख के पश्चात किशत या बकाया राशि भुगतान करनेमें अप्राप्ती अथवा विलंब नहीं करेंगे।
- q. अगर ऋणकर्ता के तरफसे स्वीकार किया गया मासिक किशत भुगतान नहीं हो पाया, तो उत्पादनका कब्जा लेनेसे बीएफएलको नहीं रोकेगे या उसमें कोई रुकावट नहीं डालेंगे।
- r. आवेदन पत्र पेश करते वक्त आवेदन पत्रमें मांगे हुए उत्पादनका पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं होगा, (जैसे यंत्र क्रमांक / डांचा क्रमांक/ अनुक्रमांक/ पंजीबद्ध क्रमांक), तो ऋणकर्ता उत्पादनका कब्जा लेनेके पश्चात या उचित प्राधिकरण से पंजीबद्धता प्रमाणपत्र, कर प्रमाणपत्र, व बीमा पॉलिसी की नकल, ऐसा तफसील प्राप्त होनेके पश्चात (जैसे वाहनका पंजीबद्ध क्रमांक) ३ (तीन) दिन के अंदर बीएफएल के पास विस्तृत विवरण पेश करेंगे।
- s. उस उत्पादनको सड़क यातायात प्राधिकरणके पास पंजीबद्ध करेंगे व उत्पादनका मूल पंजीबद्ध प्रमाणपत्र सड़क यातायात प्राधिकरण या बजाज ऑटो लिमिटेडके अधिकृत व्यापारीसे लेकर उसकी नकल बीएफएलको तुरंत पेश करेंगे। विक्री बिजकके तारीखके १० दिनों के अंदर ऐसे उत्पादन उचित पंजीबद्ध प्राधिकरणके पास पंजीकृत करके ऋणकर्ता उस पंजीबद्ध प्रमाणपत्रकी प्रमाणित नकल बीएफएलको पेश करेंगे। उस उत्पादनको संबंधित प्राधिकरणके पास पंजीकृत करते समय यह उत्पादन बीएफएलको नजर किये जाना स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिये। जहाँपर आवश्यक / लागू है (जैसे व्यापारीक / किराये पर दिये जानेवाले वाहन) वहाँ पर उत्पादन जिस राज्यमें या विभागमें पंजीकृत हुआ है, ऐसे राज्य या विभागमें वाहन चलानेके लिये ऋणकर्ताने संबंधित प्राधिकरणसे जरूरी अनुमति प्राप्त करनी चाहिये। ऋणकर्ताने, उत्पादनका पंजीबद्ध क्रमांक, पंजीबद्ध प्रमाणपत्रकी नकल आदि सब तफसील बीएफएलके बजाज फायनान्स लिमिटेड, मुंबई पुणे रस्ता आकुर्ली पुणे ४१०३५ ह्या पंजीबद्ध कार्यालयमें पंजीबद्धक डाक द्वारा पेश करनेपरही, बीएफएलका अनापत्ती पत्र जारी करना निर्भर करेगा।
- t. जहाँपर इस करारपत्र के मुताबिक यह सुविधा पहले / सामान्यतः बंद की गयी है, ऐसा पहले / सामान्यतः बंद किये जानेके ७ दिन के अंदर पंजीबद्ध प्रमाणपत्रसे या / और उचित पंजीबद्ध प्राधिकरणके अभिलेखसे बीएफएलका वर्तमान बोझ / नजरबंदी हटा देनी चाहिये और पंजीबद्ध प्रमाणपत्रकी वैसी प्रमाणित नकल (जरूरी मुद्रांकनके साथ) बीएफएलके बजाज फायनान्स लिमिटेड, मुंबई पुणे रस्ता आकुर्ली पुणे ४१०३५ इस पंजीबद्ध कार्यालयमें पंजीबद्ध डाक द्वारा पेश करना चाहिये।
- u. उत्पादनका पात्रता प्रमाणपत्र और बीमा (व्यापक सुरक्षा) का समयसमय पर नवीनीकरण करेगा।

22. जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक वादा करते हैं कि :

- I. इस करारपत्र के अनुसार ऋणकर्ताने बीएफएलको देय ऋण का पुनर्भुगतान करनेकी ऋणकर्ताकी जिम्मेवारी
- II. इस करारपत्रमें विचार कियेनुसार अप्राप्तीकी स्थिती पैदा होनेपर, बीएफएलने दिये हुए ऋणसुविधाका व्याज और ऋणकर्ता द्वारा देय या बीएफएलने उस विषयमें अपने उपर लिये अन्य सब शुल्क और राशिके साथ पूरी राशि, किसी भी प्रकारके ऐतबार, विरोध या आपसी न करते हुए तुरंत पुनर्भुगतान करना चाहिये।
- III. इस करारपत्र के अनुसार प्रावधान कि हुई और ऋणकर्ता द्वारा पूरी की जानेवाली शर्तें।
 - a. जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक स्पष्ट रूपसे स्वीकार करते हैं कि उसे / उन्हें बीएफएलने, जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक द्वारा दिये गये पतेपर (करारपत्रके अनुसूचीमें विवरित किये हुए) कोई भी प्रारूप में अपराधकी घटना होने की बजहसे जमानत आवाह्रित की गई है यह सुचित करनेवाले लिखित माँग के अलावा अन्य किसी भी प्रमाणकी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी समय बीएफएलके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा देय राशि लिखित रूपसे सूचित करनेवाला स्वाक्षरीत पत्र जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदकको पेश करनेपर वह जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक के विरुद्ध निर्णायक प्रमाण रहेगा।
 - b. जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक, किसी भी प्रतिबंध या शर्तों के बिना और ऋणकर्ताने या अन्य किसी व्यक्ति के कोई भी आपसी का विचार न करते हुए बीएफएलने पहली माँग करनेपर भुगतान करेंगे। जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक बीएफएलको हमी आवाह्रित करनेके उचितता के विषयमें कुछ भी व्योरा नहीं पूछेंगे और इस में किये भुगतान के लिये जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक बीएफएल के विरुद्ध कोई भी रस्ता अस्वीकार नहीं करेंगे।
 - c. जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक स्पष्ट रूपसे स्वीकार करते हैं कि इस करारपत्र द्वारा जब तक ऋणकर्ता व जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक के पूरे दायित्व पूरी तरहसे समाप्त नहीं होते तबतक यह जमानत स्वरूपतः एक निरंतर जमानत है। ऋणकर्ता के साथ साथ जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक का दायित्व भिन्न और संयुक्त है।
 - d. जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक स्पष्ट रूपसे स्वीकार करते हैं कि उनका दायित्व ऋणकर्ता के दायित्व जैसाही व्यापक होने की बजहसे, इस जमानत के प्रभावकारिता के लिये इस जमानत के प्रवाधानों के अनुसार बीएफएलको देय राशिके लिये, जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक, ऋणकर्तके साथसाथ भिन्नतासे और संयुक्ततासे प्रधान ऋणी है।
 - e. जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक स्पष्ट रूपसे स्वीकार करते हैं कि इस जमानत द्वारा, वह बीएफएलके प्रति उनके दायित्वसे किसी भी हालत में दोषमुक्त नहीं होंगे।
 - f. जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक स्पष्ट रूपसे स्वीकार करते हैं कि ऋणकर्ता के विरुद्ध कोई कारवाई की है या नहीं, इसके निरपेक्ष बीएफएल की तरफसे माँग करनेवाली लिखित सूचना प्रेषित होनेके पश्चात जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक का भुगतान करनेका दायित्व तुरंत शुरू होगा।
 - g. जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक इसके द्वारा बीएफएलको ऋणकर्ता से इस करारपत्र के अनुसार या उससे संबंधित दायित्व का निर्वहन न होनेपर होनेवाली नुकसानी, घाटा, खर्च, शुल्क (वकिलका शुल्क सम्मिलित)से क्षतिपूर्त कर रहे हैं।
 - h. जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक स्पष्ट रूपसे स्वीकार करते हैं कि यदि बीएफएल ने इस करारपत्र के अनुसार प्रतिभूती प्रवर्तित किया है या नहीं या ऋणकर्ता या किसी भी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कानूनी या अन्य कारवाई करनेसे पहले, करते वक्त या करनेके बाद जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक के विरुद्ध कानूनी या अन्य कारवाई किये जानेके बावजूद यह जमानत आवाह्रित की जा सकती है।
 - i. जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदकने दिये जमानत का भारतके कानून के अनुसार अर्थ लाया जाएगा।
 - j. जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक स्पष्ट रूपसे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बीएफएलको यह ऋण मंजूर होने के समय या उस संदर्भमें जो जानकारी पेश की है वह ऋणकार्यालय या बीएफएलला जो व्यक्ति उचित समझे उसे देनेका अधिकार रहेगा और ऋणकर्ता किसी भी तरीकेसे इस विषयमें विवाद या सवाल नहीं उठेंगे। जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक बीएफएल से यह स्वीकार / सहमत है की जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक के नाम और ऋणकर्ता का बीएफएल प्रति रद्दा दायित्व जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक का / की ओरसे रद्दा दायित्व कोई भी ऋण कार्यालयसे या बीएफएलको योग्य लगेगी ऐसे व्यक्तिको / अधिभूत संस्थाको देनेक अधिकार रहेगा और ऋणकर्ता किसी भी तरीकेसे इस बारेमें कोई भी झगडा या सवाल नहीं उठाएंगे। अगर ऐसा स्वीकार करते हैं की ऋणकर्ता द्वारा सब किशत समयपर और बिना किसी विलंब और कसूर के बिना बीएफएलको प्रेषित हो रहे हैं यह देखेकी जिम्मेवारी जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक की है। इस संदर्भमें बीएफएल की तरफसे ऋणकर्ता / जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदकको कोई भी सूचना अथवा (मौखिक अथवा लिखित रूपमें) नहीं दी जाएगी और जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक इससे सहमत है।
 - k. जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक स्पष्ट रूपसे स्वीकार करते हैं कि इस करारपत्र के पंच फैसला परिच्छेद २६ जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक पर बंधनकारी है और जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक पंचोने दिये फैसलेसे विवश है।
 - l. जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदकने दी हुई जमानत करारपत्र की तारीखसे अमलमें आएगी (करारपत्रकी अनुसूचिमें पूरा विवरण किया गया है) और ऋणकर्ता और / या जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदकने बीएफएलको इस करारपत्र के अनुसार पूरा ऋण, उसपर व्याज, और अन्य शुल्क और दायित्वका बीएफएलको पूरी तरह संतोषजनक पुनर्भुगतान करनेके पश्चातही समाप्त हो जाएगा।
 - m. जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक ने दी हुई यह जमानत बीएफएलको वैयक्तिक तौर पर नहीं है और बीएफएल ऋणकर्तके मुख्य दायित्व के साथ (पूरी तरह या प्रतिभूती के रूपमें) कोई भी व्यक्तिको पूरी तरह या अंशिक रूपसे अभिहस्ताक्षित / अंतरित कर सकते हैं।
 - n. इस करारपत्र के अनुसार जमानतदारको देय कोई भी सूचना अगर जमानतदारके पास पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रेषित की गयी या करारपत्रके अनुसूचीमें विवरित किये हुए प्रचलित या आखरी ज्ञात कारोबारके या वैयक्तिक पतेपर छोड़ने पर वह जमानतदारको वैध तरीकेसे सौंपा गया ऐसा माना जाएगा। पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रेषित की गयी सूचना जमानतदारको ४८ घंटोंमें प्राप्त हुई है ऐसा माना जाएगा।

23. बीमा

- a. ऋणकर्ता उत्पादनका बीमा, उसका नवीनीकरण के लिये जिम्मेवार रहेगा और कोई भी विलंब न करते हुए ऋणके कालावधीमें सब प्रकारके जोखिम व संभाव्य घटनाओंसे संरक्षक सर्वसम्मिलित बीमा खरीदना चाहिये। किसी भी परिस्थितीमें बीएफएल उत्पादनके बीमेके लिये या उस उत्पादन की बजहसे हुए कोई भी दुर्घटना उत्पन्न होनेवाले कोई भी तृतीय पक्षीय दावेके लिये जिम्मेवार नहीं रहेगी। जहाँपर ऋणकर्ता ऋणके कालावधी के लिये बीएफएल द्वारा शुटबीमा किशत भुगतान करनेके लिये तैयार है, तो ऋणकर्ताने बीएफएलके पास बीमा किशत का भुगतान करनेके बाद बीएफएल उसे सिर्फ सुविधा देगी। बीएफएल किसी भी भूल के लिये या उत्पादन के दुर्घटना की बजहसे उद्भवले तृतीय पक्षीय दावेके लिये जिम्मेवार नहीं रहेगा।
- b. ऋणकर्ता का निम्न होनेपर, उत्तराधिकारी / कानूनी वारिस इसके द्वारा सब जरूरी स्वाक्षरीत कागजाद पेश करने के लिये और दावेकी पूरी प्रक्रिया किसी भी विलंब या विरोध के बिना पूरी करनेके लिये सहमत है और बीमा कंपनीको, बीएफएलको इस करारपत्र के अनुसार देय शेष राशि का भुगतान करने और मुआबजे की शेष राशि स्वीकार करनेके लिये अनुमती दे रहे हैं। उसी तरह बीएफएलने उपरोल्लेखित राशि सीधी स्वीकार करने के लिये उत्तराधिकारीयोको कोई भी आपसी नहीं रहेगी।
- c. ऋणकर्ता के या किसीके लापरवाही या गलतीसे या बीमे द्वारा जोखीम संरक्षित है, या उत्पादन का कुछ नुकसान हुआ या चोरी हुआ, या खो गया या नष्ट हो गयी, तो ऋणकर्ताने ऐसी घटना घटनेके ४८ घंटे के अंदर ऐसे नुकसानकी, जो जानेकी या नष्ट होनेकी सूचना बीएफएलके पंजीबद्ध कार्यालय, बजाज फायनान्स लिमिटेड आकुर्ली मुंबई पुणे रस्ता पुणे ४१०३५ महाराष्ट्र राज्य इस पतेपर पंजीबद्ध डाक द्वारा और बीमा कंपनीको देनी चाहिये। ऐसे नुकसानकी, जो जानेकी या नष्ट होनेकी सूचना घटना घटनेके ४८ घंटे के अंदर पुनीत और अन्य सक्षम प्राधिकरणको जानकारी / प्रथम सूचना पेश किया जाना चाहिये।

- d. अगर उत्पादन खो, चोरी, खराब या नष्ट हो गया, तो आनेवाली बीमेकी राशि ऋणकी बकाया राशि और भविष्यमें अन्यथा देय हिस्सेकी राशि सम्मिलित राशिसे प्रति समायोजित करनेका बीएफएलको अधिकार रहेगा। ऐसे समायोजन होनेके पश्चात कोई अधिशेष राशि बचती है, वह ऋणकर्ता को भुगतान की जानी चाहिये और कम है, तो तुरंत भुगतान करनेकी ऋणकर्ताकी जिम्मेवारी होगी। लेकिन बीएफएल उनके पूरे विवेकाधिकारमें उन्हीं निर्धारित किये हुए पुनर्समायोजित कियेगये ऐसी राशि पुनर्भुगतान करनेकी सहूलियत ऋणकर्ताको दे सकते हैं। ऐसी कमी पूरी होनेतक अगली तारीखके धनादेश भूनानेका बीएफएलको अधिकार होगा।
- e. अगर उत्पादन खराब हो गया या बीएफएल ऐसा सोचती है कि खराबी ठीक हो सकती है, तो बसूल बीमेकी राशि उत्पादनकी मरम्मत के लिये मुक्त कर सकते हैं और ऋण मूल शर्तोंपर चालू रख सकते हैं।

24. प्रतिभूती

- a. मंजूर किया ऋण, व्याज, अतिरिक्त / दंड व्याज, शुल्क, खर्च और ऋणकर्ता की सिर्फ बकाया राशि की सम्मिलित परंतु उतनेतक सीमित नहीं है ऐसी राशि उत्पादनसे सुरक्षित रहेगी (अनुसूची B में इसका पुरा विवरण दिया है) और उसपर बीएफएलका प्रथम व अपबर्जक प्रभार होगा।
- b. कसूर होनेपर प्रतिभूती (बाह्य) बीएफएलके पास किसी भी सूचना या मॉग के बिना सीपी जाएगी इससे ऋणकर्ता सहमत है।

25. बाकीदारी की घटना :

अगर ऋणकर्ता इस करारपत्र की जिम्मेवारियोंका और अनुबंधोंका पालन नहीं किया और निम्नलिखित घटनाएँ होती हैं, तो बाकीदारी हुई ऐसा माना जाएगा:

- a. मासिक किश्त या उसका कोई हिस्सा या ऋणकर्ता और व बीएफएल के बीच अवक किये हुए या इस और/या इसके बाद किये गये किसी भी करारपत्र के / कागजाद के अनुसार कोई भी राशि बीएफएलको देय होते हुए भी अगर भुगतान नहीं की गई तो ;
- b. ऋणकर्ताद्वारा मौखिक या लिखित रूप में बीएफएलको गलत / झूठी जानकारी दी/ दी गयी हो तो ;
- c. उत्पादन अगर जल किया गया, किसी अधिकारी, प्राधिकरण या व्यक्ति कार्यवाहीका हिस्सा होनेकी वजहसे कब्जे में लिया या अस्वीकार किया गया, खतरेमें डाला गया, चोरी हो गया या नुकसान हो गया या तृतीय पक्षीय व्यक्ति दुर्घटना की वजहसे शारीरिक चोट होती है तो ;
- d. ऋणकर्ता का निधन हो गया, बहिर्वालीया हो गया, उसके लेनदारों से आपसमें सुलह करता है या उसके अस्तित्व या संपत्ति पर अधिग्रहण या जल्दी आदेश की इजाजत देता है तो ;
- e. अगर ऋणकर्ता भागीदारी संस्था है और उसके साझीदारों में से कोई दिवालीया हुआ / उसके लेनदारों से आपसमें सुलह करता है या उसके अस्तित्व या संपत्ति पर अधिग्रहण या जल्दी आदेश की इजाजत देता है तो ;
- f. अगर ऋणकर्ता लिमिटेड कंपनी है और उन्होंने खुद होकार समापन करनेका प्रस्ताव मंजूर किया है या समापन करनेके लिये उनके विरुद्ध रिट याचिका दायर हुई है या उसके लेनदारों से आपसमें सुलह करता है या उसके अस्तित्व या संपत्ति पर अधिग्रहण करनेके लिये किसी प्रबंधकर्ता की नियुक्ति होती है या किसी प्रक्रिया के हिस्सेमें उसके अस्तित्व या संपत्ति पर जल्दी आदेश की इजाजत देता है या बिमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम (विशेष प्रावधान) १९८५ के अनुसार ऋणकर्ता निष्क्रियक असल मूल्य घोषित करना पडा तो
- g. बीएफएलके अनुसार उनके अधिकार या प्रतिभूतीको खतरेमें डालनेवाली स्थिति उत्पन्न होती है तो
- h. ऋणकर्ताने बीएफएलसे किये हुए दूसरे किसी करारपत्रके अनुसार ऋणकर्ता या सहऋणकर्ता या जमानतदार के रूपमें बाकीदारी की घटना होती है तो ऋणकर्ताको कोई पूर्वसूचना दिये बिना उसका सारा बकाया बीएफएलको तुरंत देय हो जाएगा। अगर ऋणकर्ता बकाया राशि या उसका कोई हिस्सा भुगतान नहीं कर पाया, ऋणकर्ता बीएफएल या उनके प्रतिनिधियोंको बीएफएलने ऋण दिया हुआ (या बीएफएलने मंजूर किये अनुसार बीएफएलको देय राशिसे बराबर शुल्कवाला कोई दूसरा) उत्पादन तुरंत सौंपे और ऋणकर्ता की ओरसे वह उत्पादन बेचकर ऋणकर्ता की बकाया राशि समायोजित करनेका बीएफएलको अधिकार होगा। उसमें अगर कमी आती है तो ऋणकर्ता बीएफएलको उतनी कमी भुगतान करेगा। उपरी विवेचनपर बिना कोई पूर्वग्रह रखे और उसके अतिरिक्त, बीएफएल अगली तारीख के धनादेश / इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा आदेश / अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सूचना, राशि पूरी तरह भुगतान होने तक भूनानेका अधिकार रहेगा।
- i. ऋणकर्ताने बीएफएलको इस शर्तोंनुसार दिया हुआ या किया जानेवाला कोई भी धनादेश पेश करनेके पश्चात किसी भी वजहसे भुना न जानेपर ;
- j. परिच्छेद ११ के अनुसार ऋणकर्ता ने किसी भी वजहके लिये भूना रोकनेकी कोई भी सूचना दी है तो ;
- k. ऋणकर्ताने अस्तित्व पंजीकृत प्रमाणपत्र की नकल, बीमे ई नकल या उसके नविनीकरण करनेकी नकल ईश न करनेपर ;
- l. करारपत्र के प्रावधान के अनुसार ऋणकर्ताने अपने अस्तित्व का विवरण नहीं पेश करनेपर;

26. बाकीदारी के विषय में इस्मा

निम्नलिखित इलाज एक दूसरे को और कानूनको या सच्चे इन्साफको कोई भी बाधा और पूर्वग्रहके बिना रहेंगे :

- a. बीएफएलको सारी ऋण राशि वापस मांगनेका और ऋणकर्ता के विरुद्ध कारवाई करनेका अधिकार है।
- b. किसी भी वजह से धनादेश / इलेक्ट्रॉनिक अथवा समाशोधन सेवा सूचना / स्वयं नामे आदेश भूने नहीं गये तो पराक्रम्य पत्र अधिनियमके परिच्छेद १३८ के अनुसार कानूनी कार्यवाही करनेका बीएफएलको अधिकार रहेगा।
- c. अपने अधिकारोंको सुरक्षित करनेके लिये भारतीय दंड संहिता और दिवानी प्रक्रिया संहिता या जो कोई कानून प्रचलीत होगा, उसके उचित प्रावधान के अनुसार अन्य कानूनी इलाज करनेका अधिकार बीएफएलको रहेगा।
- d. बीएफएलके अन्य अधिकारोंका बाध न लाते हुए, अगर ऋणकर्ता इस करारपत्रके अनुसार मॉग करनेके बाद या राशि देय और भुगतान के योग्य होने के पश्चात, १५ दिन के अंदर जमा नहीं कर पाया या उसमें बाकीदारी होनेपर बीएफएलको वह उत्पादन वास्तविक कब्जे में लेनेका और उसकी उचित प्रथम करके ऋणकर्ताकी बकाया राशि बसूल करनेका अधिकार रहेगा। उत्पादनका कब्जा लेने के लिये ऋणकर्ता बीएफएलके प्रतिनिधियोंको किसी भी तरीकेकी रुकावट या विरोध नहीं करेगा और जहाँ उत्पादन रखा है, उस परिसरमें बीएफएलके प्रतिनिधियोंको मुक्त प्रवेश होगा, यह ऋणकर्ता स्वीकार करते हैं और सहमत हैं। बीएफएलको वह उत्पादन बेचनेका, किराये पर देनेका, या किसी भी नुकसानके लिये जिम्मेवार न रहते हुए, सार्वजनिक या निजी नीलामी या करारपत्र द्वारा उसकी प्रथमन करनेका अधिकार होगा और प्राप्त शुद्ध राशिका पहले ऐसे किरायेके और / या प्रथमन करनेके खर्च के लिये, उसके पश्चात व्याजके बकाया और अंतिमतः ऋणके बकाया मूलराशि की वसूली के लिये उपयोग किया जाएगा।
- e. बीएफएलकी प्रतिभूती को खतरा है या ऋणकर्ता राशी का भुगतान नहीं कर रहा है ऐसी आशंका बीएफएलको होनेपर और मंजूर किया ऋण वापस मांगा है या नहीं इसके निरपेक्ष और अन्य इलाजोंका अवलंब करनेके अधिकार को बिना बाध किये, उत्पादनका कब्जा करनेका बीएफएलको अधिकार होगा।
- f. नीचे परिच्छेद २५ (d) में लिखे अनुसार बीएफएलको उत्पादन कब्जे में लेनेका अधिकार होगा और उस काम के लिये वे कोई भी परिसरमें प्रवेश कर सकते हैं।
- g. जहाँ पर जीजे या संपत्ती के बारेमें तृतीय पक्षके अधिकार होंगे या जिसका ऐसा दावा रहेगा, ऐसे तृतीय पक्षीय दावेसे ऋणकर्ता बीएफएलला क्षतिपूर्त कर रहे हैं।

27. मध्यस्थता :

यह करारके अस्तित्व के दरम्यान या उसके पश्चात इससे उद्भवले सब झगड़े, मतभेद और / या मध्यस्थता और मेलमिलाप अधिनियम १९९६ या अन्य कानूनी संशोधन के प्रवाधानों के अनुसार मध्यस्थता पंच के द्वारा सुलझाये जाएंगे और बीएफएलद्वारा नियुक्त किये गये एकमात्र मध्यस्थता पंच को सौंपे जाएंगे। उनके कारोबार की भाषा अंग्रेजी होगी। ऐसे पंच का देहावसान होनेपर या कुछ अन्य वजह से वह काम नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। ऐसे मध्यस्थ, उनके पूर्वअधिकारिने जहाँ छोड़ा है, उसी बिंदूसे अगला कारोबार शुरू रखेंगे। मध्यस्थ के काम की जगह महाराष्ट्रमें पुणेमें होगी। ऋणकर्ता / सहऋणकर्ता / जमानतदार / सहआवेदक इससे पूर्ण सहमत हैं।

28. प्रतिभूती / उत्पादन का कब्जा लेना और उसका प्रथमन करना :

- a. परिच्छेद २५ में विवरित बाकीदारी होनेपर अनुसूचीके भाग B में विवरित किया हुए उत्पादनका कब्जा लेनेके लिये बीएफएल / उनके प्रतिनिधियोंकी तरफसे ऋणकर्ता के विरुद्ध कारवाई शुरू की जाएगी। (कलम 26 D इस परिच्छेद का अविभाज्य हिस्सा होगा।)
- b. उत्पादन (अनुसूची के खंड B में विवरित कियेनुसार) कब्जे में लेनेकी कारवाई शुरू करनेसे पहले बीएफएल द्वारा ऋणकर्ताको सामान्य डाक द्वारा चिट्ठी प्रेषित की जाएगी।
- c. उत्पादन / अस्तित्व कब्जे में लेनेके लिये जिस पुरीस धानेके सीमा में वह उत्पादन स्थित है, या मिला है, उन्हे बीएफएल के अधिकारी / प्रतिनिधि द्वारा सूचना दी जाएगी या प्राधिकृत अधिकारी शांततापूर्ण तरीकेसे कब्जा लेगा।
- d. उत्पादन / अस्तित्व कब्जे में लेनेके पश्चात प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिनिधि उस अस्तित्व की सूची बनाएंगे।
- e. अगर ऋणकर्ता / जमानतदार / सह ऋणकर्ता / सह आवेदक उनके दायित्व दिये गये कालावधीमें पूरे नहीं कर सकते हैं, तो बीएफएल उस मामलेको सुचारु तरीकेसे सुलझानेकी कोशिश करेगी।
- f. इस सारी प्रक्रिया में बीएफएलके प्राधिकृत अधिकारी और उनके अन्य प्रतिनिधियों द्वारा शालीन और मर्यादशील बर्ताव किया जाएगा।
- g. ऋणकर्ताओसे स्वीकार्य व्यवसायी भाषाओं में संवाद किया जाएगा।
- h. उत्पादन कब्जे में लेनेके पश्चात भी इस करारपत्र की शर्तें लागू रहेंगी और ऋणकर्ताओं / सहऋणकर्ता / जमानतदार / सहआवेदकके दायित्वपर / जिम्मेवारीमें कोई भी अंतर नहीं होगा। कब्जे में लेनेके पश्चात ऋणकर्ता द्वारा प्राप्त होनेवाला भुगतान बेचनेके पूर्व बंद हुए ऋण समान होगा और उसके लिये ऋणकर्ता जिम्मेवार रहेगा।
- i. अगर ऋणकर्ता अपनी बाकी भुगतान / प्रेषित नहीं कर पाया, तो उत्पादनकी बिक्रीके पश्चात जो राशि शेष बकाया होगी, उसे ऋणकर्तासे बसूल करनेका बीएफएलको अधिकार होगा। उत्पादन बेचनेके पश्चात जो शेष राशि बचेगी, वह सब संबंधित खर्चा घटाकर और बीएफएलका ऋणकर्ताके विरुद्ध अन्य कोई भी दावा न होनेपर ऋणकर्ताको वापस दी जाएगी। किसी भी कमीकी ऋणकर्ताओं / सहऋणकर्ता / जमानतदार / सहआवेदकने किसी भी अपराधके बिना बिनाविलंब भुगतान करनी चाहिये।
- j. बीएफएलद्वारा कब्जे में लिये गये उत्पादनकी (अनुसूची के खंड B में विवरित कियेनुसार) बिक्री बहु या वैयक्तिक खरीददार या ऑनलाईन निলাম गृह द्वारा पारदर्शी निविदा प्रक्रिया द्वारा की जाएगी। ऐसे बिक्रीका व्यवहार करनेसे पहले ऋणकर्ताको बकाया राशि (भविष्यकी सम्मिलित) और बीएफएल द्वारा किया गया अन्य संबंधित खर्चा भुगतान करने के लिये ७ दिनकी महीलत दी जाएगी। निजी संपर्क या सार्वजनिक बोली द्वारा बिक्री होनेके पश्चात बीएफएलको इस संबंधमें सब मूल्य, प्रभार विवेकाधिकारसे तय किया शुल्क इसका खर्च अपने पास रखनेका अधिकार होगा और ऋणकर्ताको इसकी सूचना देने के लिये बाध्य नहीं होगी। ऐसा शुल्क ऐसे बिक्रीद्वारा मिलनेवाले दलावी के अलावा होगा। अगर बिक्रीसे प्राप्त राशि ऐसे शुल्क बसूल करनेके लिये पर्याप्त नहीं है, तो ऋणकर्ता / सहऋणकर्ता / जमानतदार / सहआवेदकको वह राशि बीएफएलके पास जमा करनी पड़ेगी।
- k. बिक्रीद्वारा हुआ घाटा / न्यूनता बसूल करनेकेलिये इस करारपत्र के अनुसार नियुक्त किया गया मध्यस्थ (परिच्छेद २६) व लागू अदालती प्रक्रिया द्वारा बीएफएल अपने अधिकारका उपयोग करेगी।
- l. ऋणकर्ता और सहऋणकर्ता के उत्पादन / बाह्यके बिक्री द्वारा घाटा, ऋणकर्तासे पूर्ण और अंतिम मॉग करनेके बावजूदभी उसका भुगतान करनेमें वह असमर्थ रहा तो उसकी तरफसे जमानतदार का दायित्व इस विषयमें सारे विवरण भारतीय रिजर्व बैंक, और उनके द्वारा मान्यता प्राप्त ऋणकार्यालय और अन्य प्राधिकरणको सौंपनेके अधिकारका बीएफएल उपयोग करेगी और ऐसे प्राधिकृत किये गये प्राधिकरण द्वारा वह उचित समझे तरीकेसे उसपर प्रक्रिया करके उसका उपयोग करने के लिये ऋणकर्ता, सहऋणकर्ता व सहआवेदक पूरी तह सहमत हैं।

29. ऋणकर्ताने देय तारीख को किश्तका भुगतान बीएफएलकी स्थानीय शाखा / क्षेत्रीय कार्यालय या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि या पंजीबद्ध कार्यालय बजाज फायनान्स लिमिटेड आर्कुडी, मुंबई पुणे रस्ता पुणे ४११०३५ महाराष्ट्र राज्य यहाँ पंजीबद्ध डाक द्वारा करना चाहिये।

30. इस करारपत्र द्वारा ऋणकर्ता / सहऋणकर्ता / जमानतदार / सहआवेदकों को दी गयी कोई भी सूचना अगर ऋणकर्ताओं को दी या सामान्य डाक के द्वारा प्रेषित की या करारपत्र की सूची में विवरित पते पर छोड़ा या आखरी ज्ञात कारोबार के या निजी पते पर प्रेषित किया तो वह उन्हे प्राप्त हुई ऐसा माना जाएगा। सामान्य डाक द्वारा प्रेषित की गयी कोई भी सूचना वह प्रेषित करने के समय के ४८ घंटे के पश्चात ऋणकर्ता / सहऋणकर्ता / जमानतदार / सहआवेदकों को प्राप्त हुई ऐसा माना जाएगा।
31. ऋणगृहीता, सह ऋणगृहीता तथा जमानतदार द्वारा सहमती है की, BFL अपनी स्वेच्छा से समय समय पर विशेष योजना के अंतर्गत अंतिम किश्त की छुट दे सकते हैं। तथा यह योजना पूर्ण भुगतान का पालन/सम्पूर्ण कीर्तों का समय पर भुगतान पर ही लागू होगी।
32. ऋणकर्ता नि बीएफएल को अनुसूची के भाग C में निर्देशित कियेनुसार देय तारीख में सब किश्त भुगतान करने के पश्चात और इस करारपत्र के अनुसार ऋणकर्ता नि बीएफएल को देय अन्य राशी भुगतान करने के पश्चात मंजूर किया गया ऋण समाप्त हो जाएगा।
33. इस करारपत्र के अनुसार बकाया राशि और ऋणकर्ता द्वारा देय राशि दर्शाने वाली बीएफएल द्वारा दिया गया कोई भी विवरण ऋणकर्ताओं पर बंधनकारी होगा और उसमें दर्शाई गयी राशि निर्णायक सबूत होगा। उपर किये किसी भी उल्लेख को बाध्या लाये बिना, अगर ऋणकर्ता को कोई विवरण के या उसके कुछ हिस्से के विषय में कोई सवाल होगा, तो ऐसा विवरण प्राप्त होने के १५ दिन के अंदर उसका पूर्ण ब्योरा पंजीबद्ध कार्यालय बजाज फायनान्स लिमिटेड आकुर्डी, मुंबई पुणे रस्ता पुणे ४११०३५ महाराष्ट्र राज्य यहाँ पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रेषित करना चाहिये। बीएफएल उसके उपर विचार करेगी और उसके पश्चात ऋणकर्ताओं को कोई भी वजहसे कोई भी आपत्ती नहीं कर पाएंगे। मात्र बीएफएलने दिया हुआ विवरण गलत है या अन्य कोई भी वजहसे ऋणकर्ता किश्त का भुगतान करने में कुछ भी कसूर नहीं होना चाहिये यह बात यहाँ पर पूरी स्पष्ट की जा रही है।
34. बीएफएल ऐसा घोषित कर रही है की की भारतीय रिजर्व बैंक के आवश्यकता अनुसार कंपनीने उचित प्रथा संहिता तैयार की है। वह कंपनीके सभी कार्यालयों में प्रदर्शित की गयी है और ऋणकर्ता / सह ऋणकर्ता / जमानतदार / सहआवेदक कभी भी इसकी जांच कर सकते हैं। वैसेही वह कंपनीके www.bajajfinance.com या www.bajajautofinance.com, इस वेब स्थल पर रखी गयी है।
35. ऋणकर्ता के विनती पर बीएफएल निमाय देय पूर्व ऋण बंद कर सकता है। अगर ऋणकर्ता नि ऐसा खाता बंद किया तो बीएफएल उस तारीख के बकाया मूलधन की ३% तक की राशी पूर्व समायोजन शुल्क के रूप में वसूल कर सकती है। (अन्य लागू कर व शुल्क के अलावा अलगसे लिया जाएगा)
36. ऋणकर्ता जिस जगह निवास कर रहा है वहाँ बीएफएलद्वारा उनके जिस बैंक के साथ स्थानिय समाशोधन के लिये कोई भी बैंकिंग व्यवस्था नहीं है और ऋणकर्ता नि अगली तारीख के धनादेश दिये है, ऋणकर्ता उस राशिमें बाहर गाँव के प्रशासकीय शुल्क के प्रति रु १००/- से काम राशि भुगतान करने के लिये सहमत है।
37. ऋणकर्ता अनुसूची, ब्याज दर, शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क आदी शर्तों में होनेवाली बदलाव की सूचना बीएफएलद्वारा ऋणकर्ताओं को दी जाएगी। ब्याजदर और शुल्क उस तारीख से लागू होनेकी सुनिश्चिती बीएफएल करेगा। ऋणकर्ताओं को उपरोल्लेखित बदलाव मानने पड़ेंगे और इस विषय में बहस नहीं करेंगे।
38. **अधिकारों का अभिहस्तांकन :**
- ऋणकर्ता नि बीएफएल के लिखित अनुमती के बिना इस करारपत्र के अपने अधिकार और दायित्व अभिहस्तांकित नहीं करना चाहिये। ऋणकर्ता नि उसके निजी उपयोग के अतिरिक्त वह उत्पादन अंतर्गत या अन्य संक्रमित नहीं करना चाहिये।
 - इस करारपत्र से संबंधित सब रकम, (विकलित शुल्क सम्मिलित) प्रभार, खर्चा, कर, शुल्क (मुद्रांक शुल्क सम्मिलित), उसी तरह निष्पादित किये गये कागजाद, प्रतीभूती निर्माण करना, जबरन कब्जे में लेना, वसुली करना या करनेकी कोशिश करना, बीमा लेना, कब्जे में लेना, उसकी मरम्मत करना, भांडारण करना और बेचने के लिये सारा खर्चा ऋणकर्ता अकेला उठाएगा।
 - बीएफएल जो बैंक अथवा आर्थिक संस्थाओं से वित्तीय सहाय्य लेती है, उन बैंकों या वित्तीय संस्थाओं में मॉग करनेपर, ऋणकर्ता नि किश्त सीधा ऐसे बैंक / वित्तीय संस्थाओं में भुगतान करना चाहिये। ऋणकर्ता वादा करते हैं की ऐसे बैंक / वित्तीय संस्थाओं के अधिकारपर, उत्पादना के अधिकार के साथ, अतिक्रमण होनेवाला कोई भी काम वह नहीं करेंगे।
 - बीएफएल को इस करारपत्र के अनुसार उनके सारे या कोई भी अधिकार, फायदे, जिम्मेदारियाँ, कर्तव्य, और दायित्व विक्री, अंतरण, भार किश्त या अन्यथा देय ऋणकी राशी स्वीकृत करने के अधिकार किसी भी व्यक्ति अथवा तत्व को बहाल / अंतरित / अभिहस्तांकित करनेका अधिकार है और ऋणकर्ता इस करार के अनुसार उनकी जिम्मेदारियों ऐसे अभिहस्तांकितों के प्रति निभाएंगे।
3. ऋणकर्ता / सहऋणकर्ता / जमानतदार / सहआवेदक इससे स्पष्ट रूप से सहमत है कि ऋणकर्ता / सहऋणकर्ता / जमानतदार / सहआवेदक की तरफ से इस करारपत्र से संबंधित उपभोक्ता दावे सम्मिलित सब मुकदमे सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में पुणे की न्यायालयमें ही दाखिल किये जाएंगे और उसी न्यायालयकोही अनन्य न्यायाधीश होगा। लेकिन बीएफएल को महाराष्ट्र राज्य के पुणे के साथ देश के किसी भी न्यायालय में ऋणकर्ता / सहऋणकर्ता / जमानतदार / सहआवेदक के विरुद्ध दिवाली/ अपराधिक मुकदमे दाखिल कर सकती है। इससे ऋणकर्ता / सहऋणकर्ता / जमानतदार / सहआवेदक स्पष्ट रूप से सहमत है।
40. **बीएफएल को वैसे उचित और आवश्यक समझे उसके अनुसार प्रकट करनेका अधिकार होगा :**
- ऋणकर्ता / जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदनकर्ता से संबंधित जानकारी ;
 - ऋणकर्ता / जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदनकर्ता नि बीएफएल को सुविधा, ऋणशर्त और / या अस्तित्व से संबंधित पेश की हुई जानकारी।
 - ऋणकर्ता / जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदनकर्ता नि बीएफएल को सुविधा, ऋणशर्त और / या अस्तित्व से संबंधित स्वीकार किये हुए / स्वीकार करनेवाले जिम्मेवारी के विषय में बीएफएलने मंजूर किये हुए / करनेवाले ऋण सुविधा के विषय में पेश की हुई जानकारी
 - ऋणकर्ता / जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदनकर्ता नि उपरोल्लेखित जिम्मेवारीयाँ निभाने में अशारी होनेपर इस विषय के सब तफसील भारतीय रिजर्व बैंक, उनके द्वारा अनुमतीप्राप्त ऋणकार्यालय और अन्य प्राधिकरण को पेश करने के अधिकारका बीएफएल उपयोग करेगी और ऐसे प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा, वह उचित समझे उस तरिके से उसपर संस्करण कर के उसका उपयोग करने के लिये ऋणकर्ता, सहऋणकर्ता व सहआवेदक पूरी तह सहमत है। वैसेही भारतीय रिजर्व बैंकने इस संदर्भ में निर्देशित कियेनुसार ऐसे संस्कारित की हुई जानकारी ऋणकार्यालय बीएफएल / वित्तीय संस्था / पंजीबद्ध उपभोक्ताओं को अंतरित कर सकेगा। ऋणकर्ता / जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदनकर्ता द्वारा बीएफएल को समय समय पर पेश की हुई जानकारी सच और बराबर होगी चाहिये।
41. ऋणकर्ता / जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदनकर्ता यह स्वीकार करते हैं कि इस करारपत्र के अनुसार उनकी जिम्मेवारियों स्वतंत्र और अन्यों से अलग है। अगर कुछ वजहसे किसी अदालत को कोई जिम्मेवारी नहीं निभा पाये ऐसा दिखे देने के बावजूद ऋणकर्ता / जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदनकर्ता पर अन्य जिम्मेवारियों बंधनकारी रहेंगे।
42. ऋणकर्ता स्वीकार करते हैं कि इस करारपत्र के अनुसार ऋणकर्ता द्वारा देय या भुगतान करनेका स्वीकार किया हुआ ब्याज दर, दंड शुल्क, सेवा शुल्क, और अन्य प्रभार उचित है और उन्हे मंजूर है।
43. ऋणकर्ता / जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदनकर्ता स्वीकार करते हैं कि ऋण लेते वक्त जो ऋणकर्ता / जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदनकर्ता अनपढ़ होते हैं या / और पढ़ा हुआ समझ नहीं सकते हैं उन्हे इस ऋणकरारपत्रका विषय समझाया गया है और उनके पश्चातही उसने / उन्होंने स्वाक्षरी की है। अन्य मामलों में जो ऋणकर्ता / जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदनकर्ता अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, उन्हे देशी भाषा के शर्त दी गयी है, उन्हे समझ लेने के पश्चात और उससे सहमत होनेकी वजहसेही ऋणकर्ता / जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदनकर्ता उसकी / उनके हस्ताक्षर किये हैं / अंग्रेठी का निशान करके शर्त स्वीकार किये हैं।
44. यह करारपत्र और इससे जुड़े या इसमें विवरित कागजाद में निर्देशित किये हुए सारे शर्त इकट्ठा करते हैं और मंजुरी पत्र, इस करारपत्र के पहले जारी की गयी या निष्पादित की गयी, जो इस करारपत्र के अतिरिक्त है और उनके विरोधी नहीं बल्कि पूरक प्रतीभूती कागजाद छोड़कर इस विषय में हुई जुबानी और लिखित समझौते अधिक्रमित करते हैं। इस करारपत्र के या अन्य कोई भी करारपत्र की शर्त और प्रावधान में कोई विरोध है, तो इस परिस्थिती में इस करारपत्र की शर्त लागू रहेगी।
45. ऋणकर्ता / जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदनकर्ता स्वीकार करते हैं कि ऋणकर्ता / जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदनकर्ता द्वारा जारी किये जानेवाली सभी सूचना / आदेश बीएफएल के पंजीबद्ध कार्यालय बजाज फायनान्स लिमिटेड मुंबई पुणे रस्ता, आकुर्डी, पुणे ४११०३५ महाराष्ट्र राज्य इस पते पर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित करनी चाहिये। बीएफएल, उनकी शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय, या उनके प्रतिनिधि या बजाज ऑटो लिमिटेड के अधिकृत विक्री केंद्र से किया गया पत्राचार का कोई विचार नहीं किया जाएगा।
46. बीएफएल ग्राहक सेवा देती है :
- सेवा के विषय में कोई भी मामले में ग्राहक बीएफएल से निम्नलिखित नुसार संपर्क कर सकते हैं.:
- ०९२२५८११११० या १८०० २०९ २२३५ इस ग्राहक साहाय्य सेवा क्रमांक पर दूरभाष करना
 - हमारा पंजीबद्ध कार्यालय बजाज फायनान्स लिमिटेड आकुर्डी, जुना मुंबई पुणे रस्ता पुणे ४११०३५ महाराष्ट्र राज्य इस पते पर ग्राहक शिकायत कक्ष से संपर्क करे
 - bfcustomer@bajajauto.co.in इस ईमेल पते पर संपर्क करे
 - हमारा पंजीबद्ध कार्यालय बजाज फायनान्स लिमिटेड जुना मुंबई पुणे रस्ता, आकुर्डी, पुणे ४११०३५ महाराष्ट्र राज्य इस पते पर ग्राहक शिकायत कक्ष से पंजीबद्ध / स्पिड डाक द्वारा पत्र लिखकर ग्राहक साहाय्य सेवा क्रमांक और शिकायत कक्षका ताजा तपशील www.bajajfinance.com or www.bajajautofinance.com इस वेबस्थल पर उपलब्ध है। अगर किसी ग्राहक का पंजीबद्ध कार्यालय के शिकायत कक्ष से समाधान न हुआ, तो दूसरे या तीसरे पैमानेका ताफसील निम्नलिखित है।
- दूसरा पैमाना : मुख्य, ग्राहक सेवा, बजाज फायनान्स लिमिटेड जुना मुंबई पुणे रस्ता, आकुर्डी, पुणे ४११०३५ महाराष्ट्र राज्य यांना जिहा अथवा bfinheadcustomer@bajajauto.co.in इस पते पर ईमेल करें, हम आपको सात दिन में जवाब देंगे।
- तीसरा पैमाना : नोडल अधिकारी, बजाज फायनान्स लिमिटेड जुना मुंबई पुणे रस्ता, आकुर्डी, पुणे ४११०३५ महाराष्ट्र राज्य को लिखें या bfinodalofficer@bajajauto.co.in इस पते पर ईमेल करें, हम आपको सात दिन में जवाब देंगे।
47. सहमती
- ऋणकर्ता / जमानतदार / सहऋणकर्ता / सहआवेदक इससे द्वारा घोषित करते हैं कि
- उन्होंने संपूर्ण करारपत्र अनुसूची के विवरण के साथ पढ़ा है और उनके उपस्थिती में उसे भरा गया और स्वाक्षरी किया गया है। तफसील के साथ सारी शर्तें उन्हे बंधनकारी है।
 - यह करारपत्र और अन्य कागजाद उन्हे उनकी भाषा में समझाया गया है और वह उन्हे समझ गये हैं और सारे परिच्छेदोंका संपूर्ण अर्थ उन्हे समझ गया है।
 - जिस तारीख में बीएफएल के प्राधिकृत अधिकारी इस करारपत्र को स्वाक्षरी करे उन्ही तारीख में यह करारपत्र संपन्न होगा और कानुनी तौर पर बंधनकारी होगा, इसके लिये वह सहमत है।
 - इस करारपत्र के अनुसार किसी चीज का पालन करने में बीएफएल की तरफ से चूक गयी, तो बीएफएलने इस करारपत्र के अधिकारोंका त्याग किया है ऐसा नहीं माना जाएगा, इसके लिये उनकी सहमती है।
 - इस करारपत्र के कोई भी परिच्छेद या अनुसूचीका अनुवाद करना है, तो अंग्रेजी भाषा सर्वोपरी रहेगी इसके लिये उनकी सहमती है।
 - इन शर्तों की और अनुसूची की एक (देशी और अंग्रेजी) तकल उन्हे कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुई है उसकी पावती उन्होंने देशी और अंग्रेजी भाषा में दी है।